**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय**
**पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग**

तीसरा तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक:- 22 जुलाई, 2021

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय: केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को 01.07.2021 से महंगाई राहत की संशोधित दरें**

अधोहस्ताक्षरी को वित्त मंत्रालय(व्यय विभाग) के दिनांक 23.04.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2020-ई-II(बी) का संदर्भ देते हुए, जिसके द्वारा पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 से देय महंगाई राहत की किस्तें रोक दी गई थी, यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति जी ने यह निर्णय लिया है कि केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को अनुज्ञेय महंगाई राहत को 01.07.2021 से मूल पेंशन/कुटुंब पेंशन (जिसमें अतिरिक्त पेंशन/कुटुंब पेंशन भी है) के 17% की वर्तमान दर से बढ़ाकर 28% कर दिया जाए। इस वृद्धि में 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 को देय अतिरिक्त किस्तें सम्मिलित है। इस विभाग के दिनांक 21.10.2019 के का.ज्ञा. सं.42/04/2019-पी&पीडब्ल्यू(डी) के अनुसार पूर्व में अवधारित महंगाई राहत की दर, 01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि के लिए मूल पेंशन/कुटुंब पेंशन का 17% ही रहेगी।

2. महंगाई राहत की ये दरें निम्नलिखित पर लागू होंगी :

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में आमेलित केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगी जिनकी बाबत 15 वर्ष की सारांशीकरण अवधि के समाप्त होने के पश्चात पूर्ण पेंशन की बहाली हेतु इस विभाग के दिनांक 23.06.2017 के का.ज्ञा. सं.4/34/2002-पी&पीडब्ल्यू(डी)खंड-II द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, सहित सिविलियन केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी।

(ii) सशस्त्र बलों के पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी और सिविलियन पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी जिनके लिए रक्षा सेवा प्राक्कलनों से अदायगी की जाती है।

(iii) अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी।

(iv) रेलवे पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी।

(v) ऐसे पेंशनभोगी जो अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

(vi) बर्मा सिविलियन पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी और पाकिस्तान से विस्थापित पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, जिनकी बाबत इस विभाग के दिनांक 11.09.2017 के का.ज्ञा. सं.23/3/2008-पी&पीडब्ल्यू(बी) द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।

3. मंहगाई राहत के संदाय में जहां एक रूपये का कोई भाग हो, वहां उसे अगले पूर्ण रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।

4. नियोजित कुटुंब पेंशनभोगियों और पुनर्नियोजित केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों की बाबत महंगाई राहत की अनुज्ञा को विनियमित करने वाले अन्य उपबंधों को, इस विभाग के दिनांक 02.07.1999 के का.ज्ञा.

5. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में, आवश्यक आदेश, न्याय विभाग द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।

6. यह पेंशन संवितरण प्राधिकारियों, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक आदि भी हैं, का दायित्व होगा कि वे प्रत्येक व्यक्ति के मामले में संदेय महंगाई राहत(डीआर) की मात्रा की गणना करें।

7. महालेखाकार और प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों के कार्यालयों से अनुरोध है कि वे सभी महालेखाकारों को संबोधित भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के दिनांक 23.04.1981 के पत्र सं. 528-टीए, II/34-80-II और भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को संबोधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21.05.1981 के परिपत्र संख्या जीएएनबी सं.2958/जीए-64(ii) (सीजीएल)/81 को ध्यान में रखते हुए, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अन्य निर्देश की प्रतीक्षा किए बिना, उपर्युक्त आदेशों के आधार पर, पेंशनभोगियों और कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के संदाय की व्यवस्था करें।

8. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के व्यक्तियों के लिए इनके अनुप्रयोग के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

9. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 20 जुलाई, 2021 के कार्यालय ज्ञापन सं.1/1/2020-ई II(बी) के अनुसरण में जारी किया जाता है।

(संजीव नारायण माथुर)
भारत सरकार के संयुक्त सचिव

**सेवा में,**

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और प्रशासक
3. सभी प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और केंद्रीकृत पेंशन संदाय केंद्र
4. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)
5. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सूचनार्थ